कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3698 /11–सी–FP/UP/Water/152706/2022, लखनऊ, दिनांकः जून 23 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।

विषयः– जल जीवन मिशन के अंतर्गत पत्योरा डांडा ग्राम–समूह पेयजल योजना में पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जनपद–महोबा में प्रभावित 01 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 118 वृक्षों/पौधों के पातन एवं जनपद–हमीरपुर में प्रभावित 5.3 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 169 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल 6.3 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 287 पौधों/वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–3148/33–1, दिनांक 17.06.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

<u>महोबा वन प्रभागः–</u>

1. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों के 10 गुना अर्थात 1180 वृक्षों का वृक्षारोपण बिक्रगार्ड में प्रस्तावित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर अवनत वनभूमि वन ब्लाक में स्थल का चयन कर चयनित अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, kml file एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में क्षेत्रफल व धनराशि सहित अपलोड करें।
2. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल एवं CA की kml file पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

<u>हमीरपुर वन प्रभागः–</u>

1. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–66 पर 225 बाधक वृक्षों की सूची एवं 383 ब्रिकगार्ड तथा पृष्ठ सं0–75 पर 225 बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, जबकि ऑनलाइन भाग–2 में 169 वृक्ष ही अपलोड है, जोकि विरोधाभाष है। अतः सही बाधक वृक्षों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहितसूची संलग्न करे एवं तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों के 10 गुना अर्थात 6080 वृक्षों का वृक्षारोपण बिक्रगार्ड में प्रस्तावित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर अवनत वनभूमि वन ब्लाक में स्थल का चयन कर चयनित अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, kml file एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में क्षेत्रफल व धनराशि सहित अपलोड करें।
3. ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित अपलोड नहीं है। अतः सत्यापित Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–33 पर बाधक वृक्षों की सं0 गलत अंकित है।
5. हार्डकापी भाग–2 में उपरोक्त बिन्दु–02 के अनुसार CA की धनराशि अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन अपलोड करें।
6. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल एवं CA की kml file पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांकः– 3678 /11–सी–FP/UP/Water/152706/2022, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा/हमीरपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), महोबा।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-714